राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/स्वै0 से0नि0/एस–244/2019/ दिनांकः–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बीकानेर।

विषयः श्रीमती सिल्वी मोल, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 7575–76 दिनांक 14.08.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती सिल्वी मोल, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के दिनांक 01.10.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक सेवा निवृति पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.10.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है आप अपने स्तर से कार्मिका को पाबन्द/सूचित करें।

–Sd–
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग/नर्स–2(F)/स्वै0सेनि0/एस–244/2019/ 1179 दिनांकः– 1/10/19

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर